पत्रांक–02/सिरीज–16/2015 परि0
बिहार सरकार
परिवहन विभाग

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,
सारण (छपरा)।

पटना, दिनांक ....

विषय : **डीलर प्वाइंट पर निजी वाहनों** के निबंधन हेतु नया निबंधन सिरीज का आवंटन के संबंध में।

महाशय

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–6631 दिनांक–16.10.2017 के संबंध में कहना है कि **डीलर प्वाइंट पर निजी वाहनों** के निबंधन हेतु नया निबंधन सिरीज **BR-04X** प्रारंभ करने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि वर्तमान चालू सिरीज **BR-04W** में 9999 वाहनों का निबंधन पूर्ण होने के पश्चात् ही इस सिरीज के अंतर्गत निबंधन प्रारम्भ किया जाएगा। इस आवंटित सिरीज में **मालवाहक** एवं **व्यावसायिक** वाहनों का निबंधन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।

साथ ही निदेश दिया जाता है कि आपके जिले में निबंधित डीलर प्वाइंट की सूची (नाम, पता, ऑथराईजेशन नं0 एवं उनका दूरभाष सं0) विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा आपके कार्यालय को निबंधन संख्या का आवंटन रोक दिया जाएगा।

उपर्युक्त पर राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,
ह0/–
विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 02/सिरीज–16/2015 5339 पटना दिनांक– 23.10.17

प्रतिलिपि :– राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, NIC, Bihar, Patna/ IT Manager, कम्प्यूटर कोषांग, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।